रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2003/पौष 19, 1924
No. 24] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2003/PAUSA 19, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2003

का. आ. 26(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड को, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सीएमडीए टावर-2, चौथी मंजिल, गांधी इरविन ब्रिज रोड, एगमोर, चेन्नई-600 002 में है, मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के साथ, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सीएमडीए टावर-2, चौथी मंजिल, गांधी इरविन ब्रिज रोड, एगमोर, चेन्नई-600 002 में है, मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड में उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं का, जिनमें अन्य बातों के साथ भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं, प्रभावी और दक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए समामेलन किया जाए ;

और मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड ने 27 अक्तूबर, 2000 को आयोजित किए गए अपने साधारण अधिवेशन में कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्पों द्वारा मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन कर दिया है ;

और मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने 27 अक्तूबर, 2000 को आयोजित किए गए अपने साधारण अधिवेशन में कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्पों द्वारा मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन कर दिया है ;

और समामेलन के लिए प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की प्रति पूर्वोक्त कंपनियों अर्थात् मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड को आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए दो समाचार पत्रों में उसके प्रकाशन के लिए भेजी गई थी;

और मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समामेलन की स्कीम को दोनों कंपनियों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् " इंडियन एक्सप्रैस " (अंग्रेजी)में तारीख 3.5.2002 को, " धिनाभूमि" (जनभाषा) में 3.5.2002 को और " फाइनेंशियल एक्सप्रैस " अंग्रेजी में 5.5.2002 को " धिनाभूमि" (जनभाषा) में 5.5.2002 को क्रमश: प्रकाशित किया गया था,

और केन्द्रीय सरकार को यूनियनों या शेयरधारकों या लेनदारों से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त दोनों कंपनियों के समामेलन का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - इस आदेश का संक्षिप्त नाम तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड और तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2002 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** - इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

(ख) "विघटित कंपनी" से मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है ।

(ग) "प्रलक्षित कंपनी" से मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है ।

3. **शेयर धारण करने का पैटर्न** - दोनों कम्पनियों का शेयर धारण करने का पैटर्न 31 मार्च, 1999 को यथा निम्नलिखित है :-

(i) विघटित कंपनी

शेयर धारकों का नाम	शेयरों की संख्या	रकम (रुपए में)
तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (टीएएसएमएसी) लिमिटेड जिनके अन्तर्गत उनके नामनिर्देशिती भी हैं (40 : 60)	40,00,000 शेयर प्रत्येक दस रुपए का	4.00 करोड़ रुपए

(ii) प्रलक्षित कंपनी

शेयर धारकों का नाम	शेयरों की संख्या	रकम (रुपए में)
तमिलनाडु की सरकार और उसके नामनिर्देशिती	**70,000 शेयर प्रत्येक एक हजार रुपए का**	**7.00 करोड़ रुपए**

(ख) तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड में पूर्ण रूप से समादत्त प्रत्येक दस रुपए के 40.0000 लाख साधारण शेयर, जो अब तमिलनाडु की सरकार और मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, उनके नामनिर्देशितियों को सम्मिलित करते हुए, 40 : 60 के अनुपात में धारित हैं, रद्द कर दिए जाएंगे ।

(ग) मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड में तमिलनाडु की सरकार द्वारा, उसके नामनिर्देशितियों को सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक दस रुपए के सोलह लाख के साधारण शेयरों के बदले में पूर्ण रूप से समादत्त प्रत्येक एक हजार रुपयों के सोलह हजार शेयर तमिलनाडु सरकार को मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आबंटित किए जा सकेगें और तद्नुसार मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, प्रतिलक्षी कम्पनी की समादत्त पूंजी 7.00 करोड़ से बढ़कर 8.60 करोड़ रुपए हो जाएगी ।

4. **कंपनियों का समामेलन**– (1) नियत दिन से ही मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड का, जैसा है जहां है की शर्त पर, सम्पूर्ण कारबार और उपक्रम, जिसमें सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां और अन्य आस्तियां और दायित्व, वर्तमान या भविष्य में, चाहे परिनिर्धारित किए गए हों या नहीं, किसी भी प्रकृति के हों अर्थात्, यान, मशीनरी और सभी अन्य नियत आस्तियां, पट्टे, अभिधृति अधिकार, शेयरों में या अन्यथा विनिधान, व्यापार स्टाक, कर्मशाला, औजार अभिवहन में माल, अग्रिम धन, सभी प्रकार के बही ऋण, बकाया धन, वसूलीय दावे, करार औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञा पत्र, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय के पत्र और प्रत्येक वर्णन के सभी अधिकार और शक्तियां सम्मिलित हैं, किन्तु विघटित कम्पनी की उक्त सम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधकों और प्रभारों और आडमानों, गारंटियों और किसी भी प्रकार के सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए, बिना और कार्य या विलेख के तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार प्रलक्षित कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे अथवा उसको अंतरित हुए और उसमें निहित हुए समझे जाएंगे ।

(2) लेखा प्रयोजनों के लिए समामेलन उक्त दो कंपनियों के 31 मार्च, 1999 को लेखा परीक्षा किए गए लेखाओं और तुलन पत्रों के प्रति निर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् संव्यवहार एक ही खाते में पूलित किया जाएगा । विघटित कंपनी से किसी पश्चातवर्ती तारीख को अपने अंतिम लेखाओं को तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और प्रलक्षित कंपनी विघटित कंपनी के 1.4.1999 के तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण करेगी और उसके मश्चात् विघटित कम्पनी के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी ।

स्पष्टीकरण – विघटित कंपनी के उपक्रम में विकास रिबेट आरक्षिति, यदि कोई है, सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी जंगम या स्थावर सम्पत्ति सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत नकद अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व अतिशेष, विनिधान, सभी अन्य हित और अधिकार जो ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्भूत हों, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी की या उसके कब्जे में हो या उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज और सभी प्रकार के ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं जो उस समय विघटित कम्पनी की विद्यमान हों, आती हैं ।

5. **संपत्ति की कतिपय मदों का अंतरण**-- इस आदेश के प्रयोजन के लिए विघटित कंपनी के सभी लाभ या हानियां या दोनों, यदि कोई हों, जो नियत दिन को हों और विघटित कंपनी की राजस्व आरक्षितियाँ या कमियां या दोनों, यदि कोई हों जब प्रलक्षित कंपनी को अंतरित की जाएं, तो वे प्रलक्षित कंपनी की, यथास्थिति क्रमशः लाभ या हानियों और राजस्व आरक्षितियों या कमियों का भागरूप हो जाएंगी ।

6. **संविदाओं की व्यावृति, आदि**-- इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी संविदाएं, विलेख, बंध पत्र, करार और अन्य लिखतें, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों, जिनकी विघटित कंपनी एक पक्षकार है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावी हैं, प्रलक्षित कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी होंगीं और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रुप में प्रवर्तित किया जा सकेगा मानों प्रलक्षित कंपनी उनकी एक पक्षकार रही हो।

7. **विधिक कार्यवाहियों की व्यावृति**-- यदि नियत दिन को, विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां चाहे किसी प्रकृति की हों, लंबित हैं तो विघटित कंपनी के उपक्रम के प्रलक्षित कंपनी को अंतरित हो जाने या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण वे उपशमित नहीं होगीं या रोकी नहीं जाएंगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रुप में प्रभावित नहीं होगी, किंतु वह वाद, अभियोजन,अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां उसी रीति से और उसी सीमा तक प्रलक्षित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी और अभियोजित की जा सकेंगी या प्रवर्तित की जा सकेंगी मानो यदि वह आदेश न किया गया होता तो वे विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहती, अभियोजित की जाती और प्रवर्तित की जाती ।

8. **कराधान की बाबत उपबंध**-- नियत दिन से पूर्व विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारबार के लाभों और अभिलाभों (जिनके अंतर्गत संचित हानियाँ और अनामेलित अवक्षयण सम्मिलित है) के संबंध में सभी कर प्रलक्षित कंपनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए संदेय होंगे जो इस समामेलन के परिणामस्वरुप आय कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात किए जाएं ।

9. **विघटित कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध** -- विघटित कंपनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (विघटित कंपनी के निदेशकों को छोड़कर) नियत दिन से ही प्रलक्षित कंपनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तो पर और उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जैसे वह विघटित कंपनी में धारण करता, यदि यह आदेश न किया जाता और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि प्रलक्षित कंपनी में उसका नियोजन सम्यक रुप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसके परिश्रमिक और नियोजन की शर्तो में पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक् रुप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है ।

10. **निदेशकों की स्थिति**-- विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए है, नियत दिन को विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रहेगा ।

11. भविष्य निधि, अधिवर्षिता, कल्याण और अन्य निधियां- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसरण के अधीन रहते हुए, विघटित कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कल्याण निधि और किसी अन्य निधि के न्यासी, नियत दिन को न्यास की निधियों का अंतरण प्रलक्षित कंपनी को करेंगे, जो ठीक नियत दिन से उपरोक्त धन से ऐसे एक या अधिक न्यासों का गठन करेगी, जिनके उद्देश्य, निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विद्यमान न्यास की हैं या उक्त विद्यमान निधियों का प्रलक्षित कंपनी के एक या अधिक तत्स्थानी न्यासों को अंतरण किया जा सकेगा और विघटित कंपनी तथा प्रलक्षित कंपनी द्वारा स्थापित न्यास के हिताधिकारियों के अधिकारों और हितों को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा ।

12. भविष्य निधि की सदस्यता-विघटित कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन उस कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके वे सदस्य हैं और प्रलक्षित कंपनी, नियत दिन से इन अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय उसी दर से, जिस दर से विघटित कंपनी कर रही थी या ऐसी अन्य दरों पर जो तत्पश्चात् विद्यमान विधियों के अधीन लागू हों, करेगी और करती रहेगी ।

13.तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड का विघटन – इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से ही मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड का विघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति, विघटित कंपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध, ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में कोई दावा नहीं करेगा, मांग प्रख्यापित नहीं करेगा या कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा सिवाय उनके जो इस आदेश के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हों ।

14. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण– केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई को इस आदेश की प्रति भेजेगी जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई प्रलक्षित कंपनी द्वारा विहित फीस का संदेय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की ऐसी प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा । उसके पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई विघटित कंपनी से संबंधित उसके पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड जिसके साथ विघटित कंपनी का समामेलन किया गया है, की फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा ।

15. प्रलक्षित कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद– मैसर्स तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जिस रूप मे वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे, नियत दिन से ही प्रलक्षित कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे ।

[फा. सं. 24/15/2000-सीएल-III]

राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 9th January, 2003

S.O. 26(E).—Whereas the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at CMDA Tower-II, 4th Floor, Gandhi Irwin Bridge Road, Egmore, Chennai-600 002 be amalgamated with M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), having its registered office at CMDA Tower-II, 4th Floor, Gandhi Irwin Bridge Road, Egmore, Chennai-600 002 for the purpose of securing effective and efficient utilisation of the infrastructure facilities available in M/s. Tamil Nadu Sprit Corporation Limited which among other things includes land and buildings;

AND WHEREAS, M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited has approved its amalgamation with M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited by resolution passed by the shareholders of the company in the Extra Ordinary General Meeting held on the 27th October, 2000;

AND WHEREAS, M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited approved the amalgamation with M/s Tamil Nadu Spirit Corporation Limited by resolution passed by the shareholders of the company in the Extraordinary General Meeting held on the 27th October, 2000;

AND WHEREAS, copy of the proposed Order for amalgamation was sent in draft to the aforesaid Companies namely M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited and M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited for its publication in two newspapers inviting objections and suggestions;

AND WHEREAS, the scheme of amalgamation of M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited with M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited was published by both the Companies in daily newspapers namely "Indian Express" (English) on 3.5.2002, "Dhinabhoomi" (Vernacular Language) on 3.5.2002 and "Financial Express" (English) on 5.5.2002, "Dhinabhoomi" (Vernacular Language) on 5.5.2002, respectively;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received from the Unions or Shareholders or Creditors, by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the said two Companies, namely.-

1. **Short title and commencement.** -(1) This Order may be called the Tamil Nadu Spirit Corporation Limited and the Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited, Order, (Amalgamation) 2002.

   (2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In this Order, unless the context otherwise requires,-
   (a) "appointed day" means the date on which this Order is Published in the Official Gazette;

   (b) "dissolved company" means M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited;

   (c) "resulting company" means M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited.

3. Share holding pattern. - (a) The shareholding pattern as on the 31st March, 1999 of the two companies is as under:-

(I) dissolved company.-

Name of the shareholders	Number of shares	Amount (Rs.)
Government of Tamil Nadu and Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited (TASMAC) Limited including their nominees (40:60)	40,00,000 Shares of Rs.10/- each	Rs. 4.00 Crores

(II) resulting company.-

Name of the shareholders	Number of shares	Amount (Rs.)
Government of Tamil Nadu and their nominees	70,000 Shares of Rs.1,000/- each.	Rs.7.00 Crores.

(b) 40,00,000 equity shares of Rs.10 each fully paid up in the Tamil Nadu Spirit Corporation Limited which are now held by Government of Tamil Nadu and M/s. Tamil Nadu State marketing Corporation Limited including their nominees in the ratio of 40:60, shall be cancelled.

(c) In lieu of the 16,00,000 equity shares of Rs.10/- each held by Government of Tamil Nadu including their nominees in M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited 16,000 shares of Rs. 1, 000/- each fully paid up may be allotted to the Government of Tamil Nadu by M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited and accordingly the paid up capital of M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited, the resulting company, will stand increased from Rs.7.00 Crores to Rs. 8.60 Crores.

4. **Amalgamation of companies.** - (1) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited in as is where is condition, including all the properties, movable and immovable and other assets and liabilities, present or future, whether liquidated or not of whatsoever nature, i.e. vehicles, machinery and all other fixed assets, leases, tenancy rights, investments in shares or otherwise, stock-in-trade, workshop, tools, goods-in-transit, advances of monies, all kinds of book-debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements, industrial and other licences and permits, imports and other licences, letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecations, guarantees, and all rights whatsoever, affecting the said properties of the dissolved company shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to, and vested in, the resulting company in accordance with the law for the time being in force.

(2) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 31st March, 1999 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet as on 01.04.1999 of the dissolved company and shall accept full responsibility for all transactions of the dissolved company thereafter.

Explanation. - The undertaking of the dissolved company shall include Development Rebate Reserve, if any, all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable, including cash balances, reserves, revenue balances, investments, all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, or be in the possession of the dissolved company, immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. **Transfer of certain items of property.** - For the purposes of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day, the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company, shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. **Saving of contracts, etc.**- Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved company, the resulting company had been a party thereto.

7. **Saving of legal proceedings.** - If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would have or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company as if this Order had not been made.

8. **Provisions with respect to taxation.** - All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. **Provisions respecting officers and other employees of the dissolved company.**- Every whole-time officer or other employees (excluding the Directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day in the dissolved company, shall as from the appointed day, become an officer or employee, as the case may be, of the resulting company and shall hold office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he/she would have held the same under the dissolved company, as if this Order had not been made, and shall continue to do so unless and until his/her employment in the resulting company is duly terminated or until his/her remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10. **Position of directors.** - Every Director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. **Provident, superannuation, welfare and other funds.** - Subject to the compliance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the trustees of the provident fund or superannuation fund or welfare fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the Trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the objects, terms and conditions similar to those of the existing trust or the said existing funds may be transferred to one or more corresponding trusts of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.

12. **Membership of provident fund.** - All officers and employees of the dissolved company shall continue to be members of the Employee's Provident Fund under the Scheme of the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) of which they are members and the resulting company shall with effect from the appointed day make and continue to make the employer's contributions to the said Employees Provident Fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company or such other rates as subsequently applicable under the existing laws.

13. **Dissolution of the Tamil Nadu Spirit Corporation Limited.** - Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or any officer thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

14. **Registration of the Order by the Registrar of Companies.** - The Central Government shall, as soon as may be, after this Order is notified in the Official Gazette, forward to the Registrar of Companies, Chennai, a copy of this Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Chennai, shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of such copy of the Order. Thereafter, the Registrar of Companies, Chennai, shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of M/s. Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited with whom the dissolved company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

15. **Memorandum and Articles of Association of the resulting company.**- The Memorandum and Articles of Association of M/s. Tamil Nadu Spirit Corporation Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company from the appointed day.

[F. No. 24/15/2000-CL-III]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.